



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board
Office Order No. 38 of 2025



Sub.: Appointment of Nodal Officer for Cabinet Notes.

It has been decided to designate the **ED/Transformation** as the nodal officer for monitoring of all Cabinet Notes. The designated officer will be responsible for collecting the detail of the cabinet notes processed by the Ministry of Railways and updating the details on the e-samiksha portal. Additionally, the officer will monitor Cabinet Notes received from other ministries for comments of the Railway Ministry (from e-samiksha portal), and will chase the concerned directorates for quick disposal of those incoming cabinet notes. ED/Transformation will be assisted by **E(O)-I/CC Branch** under **PED/Monitoring**.

2. The above issues with the approval of the competent Authority.

No.2025/O&M/7/13
Dated: 09.06.2025

(T.Srinivas)
Joint Secretary/Railway Board
Email id: t.srinivas1@gov.in
Tele No.: 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Dayabasti, New Delhi

Copy for information to:-

**CRB&CEO, PED/Monitoring, ED(E&R),
ED/Transformation**

Copy to:-

EDPG/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG MoSR(S)

Room No.229, 2nd Floor, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board




2025 का कार्यालय आदेश सं. 38

विषय: कैबिनेट नोट के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति।

यह विनिश्चय किया गया है कि सभी कैबिनेट नोट की मॉनीटरिंग के लिए कार्यपालक निदेशक/ट्रांसफॉर्मेशन को नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाए। पदनामित अधिकारी रेल मंत्रालय द्वारा संसाधित कैबिनेट नोट का विवरण एकत्रित करने और ई-समीक्षा पोर्टल पर विवरण अपडेट करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, अधिकारी, रेल मंत्रालय की टिप्पणियों (ई-समीक्षा पोर्टल से) के लिए अन्य मंत्रालयों से प्राप्त कैबिनेट नोट की मॉनीटरिंग करेगा और आने वाले कैबिनेट नोट के त्वरित निपटान के लिए संबंधित निदेशालयों पर नजर रखेगा। कार्यपालक निदेशक/ट्रांसफॉर्मेशन को प्रधान कार्यपालक निदेशक/मॉनीटरिंग के अधीन ई(ओ)-I/सीसी शाखा द्वारा सहयोग दिया जाएगा।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं. 2025/ओएंडएम/7/13
दिनांक: 09.06.2025


(टी. श्रीनिवास)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड
ईमेल:- t.srinivas1@gov.in
टेली.नं- 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड, प्रधान कार्यपालक निदेशक/मॉनीटरिंग, कार्यपालक निदेशक (कुशलता एवं अनुसंधान), कार्यपालक निदेशक/ट्रांसफॉर्मेशन

प्रतिलिपि प्रेषित:-

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (आर), संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस)